प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: **86 / 2024** (अपील सूचना का अधिकार)
दिपक प्रजापत निवासी: 3, जैन कॉलोनी, युनिवर्सिटी रोड़, उदयपुर

...............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13/08/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 12.06.2024 को आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर / सू.अ. / प्रथम अपील / 86 / 24 / 350–51 दिनांक 19.07.2024 से लिखा गया।

जिसकी पालना में प्रत्यर्थी द्वारा जरिये पत्र कमांक प.41 / 2 / लो.सू.अ. / प्रा.प.सं. / 115 / 2024 / 667–69 दिनांक 23.07.2024 से (अपीलार्थी को दिनांक 25.06.2024 को प्रेषित सूचना से संतुष्ट नहीं होने से) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर को अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को जरिये दिनांक 25.06.2024 को सूचना प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना से असंतुष्ट होकर इस कार्यालय में दिनांक 19.07.2024 को प्रथम अपील दर्ज की गई। प्रथम अपील के प्रत्युत्तर में लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर को जरिये पत्रांक 667–69 दिनांक 23.07.2024 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना 7 दिवस में नियमानुसार निशुल्क उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर